संख्या-18/2018/1919/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2018**

विषयः- जनपद में स्थित सभी बाल एवं महिला गृहों पर चाईल्ड लाइन नम्बर-1098 एवं महिला हेल्पलाइन-181 को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-सी0डब्ल्यू0-II-30/47/2018-सी0डब्ल्यू-II, दिनांक 06 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सभी महिला एवं बाल गृह संस्थाओं पर चाइल्ड लाइन नम्बर-1098 एवं महिला हेल्पलाइन नम्बर-181 को तत्काल पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद में स्थित समस्त महिला एवं बाल गृहों की संस्थाओं पर 1098 चाइल्ड लाइन नम्बर एवं 181 महिला हेल्पलाइन नम्बर के पोस्टर तैयार कराकर चस्पा कराने का कष्ट करें, जिससे संस्थाओं में आवासित महिलाओं एवं बालकों को आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त हेल्पलाइन नम्बरों के माध्यम से आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जा सकें। कृपया कृत कार्यवाही से निदेशालय, महिला कल्याण एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2018/1919(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अनु सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त संस्था अधीक्षक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।